म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
"चयन भवन" मेन रोड़ नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल–462011

क./व्यापम/5–प–1/6061 /2015 भोपाल, दिनांक 31/07/15

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरोध पर मण्डल द्वारा **पीएमटी परीक्षा वर्ष–2008** का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर चिकित्सा महाविद्यालयों ने संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये उनका प्रवेश अपने–अपने महाविद्यालय से निरस्त कर दिया गया था।

2. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न याचिकायें दायर की गई थी, जिनमें से याचिका क्रमांक 2001/2014 अनिल कुमार मौर्य विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2014 के द्वारा अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय एवं **मण्डल** को पुनः जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था।

3. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के परिपालन में पीएमटी परीक्षा वर्ष 2008 से 2012 तक के प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा निष्काषित किये गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों में परीक्षण हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया।

4. **पीएमटी वर्ष 2008** के प्रकरणों का परीक्षण करने पर व्यापम जांच समिति द्वारा पाया गया कि, मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों के उपलब्ध करवाये गये मूल दस्तावेजों के आधार पर, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण जांच उपरांत समस्त **06** अभ्यर्थियों के प्रवेश निरस्त किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की गई एवं इन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने हेतु मण्डल को लिखा गया।

5. चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त समस्त अभिलेखों तथा मण्डल में उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नये सिरे से मण्डल द्वारा अभ्यर्थीगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। जिनका अभ्यर्थीवार विवरण निम्नानुसार है–

A. **शैलेष कुमार – रोल नं. 230538 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर**

व्यापम के पत्र क्रमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि उनको प्रेषित पत्र मूलतः मण्डल में वापस प्राप्त हुआ है।

B. **कुलदीप सिंह – रोल नं. 220291 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर**

व्यापम के पत्र क्रमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

C. <u>विवेक मामोरिया – रोल नं. 237873 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर</u>

व्यापम के पत्र कमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02. 2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

D. <u>सुनील मण्डलोई – रोल नं 238045 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर</u>

व्यापम के पत्र कमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02. 2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

E. <u>प्रवीण कुमार यादव –रोल नं. 227005 –नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर</u>

व्यापम के पत्र कमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02. 2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

F. <u>अनिल मौर्य – रोल नं. 227435 – नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर</u>

व्यापम के पत्र कमांक (1) व्यापम/5–प–1/807/2015 भोपाल, दिनांक 02.02. 2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 14.02.2015 को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। (2) व्यापम/5–प–1/4431/2015 भोपाल, दिनांक 08.06.2015 दिया गया। अभ्यर्थी को दिनांक 26.06.2015 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। अभ्यर्थी द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश के प्रकाश में सभी तथ्यों को मण्डल के स्तरै पर विचार–विमर्श किया गया । अभिलेखों के परीक्षण तथा अभ्यर्थियों से प्राप्त उनके प्रतिउत्तर के मनन करने के पश्चात् निम्नलिखित कारणों से अभ्यर्थीगण की अभ्यर्थिता निरस्त करने के योग्य पाई गई है–

6. अभ्यर्थियों के संबंध में चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिर्पोटों/प्रपत्रों का परीक्षण मण्डल की गठित समिति द्वारा किया गया एवं यह पाया गया कि वास्तव में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में संलग्न फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि और प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा चस्पा की गई फोटो, हस्ताक्षर तथा हस्तलिपि में भिन्नता है ।

7. मण्डल जांच समिति द्वारा पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों की परीक्षण समिति द्वारा अभ्यर्थियों के संबंध में दी गई वस्तुस्थिति अनुसार दस्तावेजों में संलग्न फोटो के विपरीत किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्राप्त करना एवं अध्ययनरत् होना पाया गया है, जो कि वास्तविकता पर आधारित है।

8. मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का परीक्षण किया गया, परंतु अभ्यर्थियों के द्वारा कोई भी ठोस संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया, जिससे उन पर आरोपित तथ्यों का बचाव हो सके।

9. प्रकरण के समग्र, सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण तथा तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि चयन के लिये अभ्यर्थी के द्वारा पररूपधारण (स्वयं के स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठाया गया) का प्रयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

उल्लेखित समस्त **06** अभ्यर्थियों का यह कृत्य परीक्षा प्रणाली की पवित्रता, शुचिता एवं स्वच्छता के प्रतिकूल होने के कारण व्यापम द्वारा उनका घोषित परीक्षा परिणाम स्वमेव दूषित हो गया है। उक्त तथ्यों के प्रकाश में व्यापम की नियमपुस्तिका के नियम कमांक 2.16 के तहत् सभी **06** प्रकरणों को अनुचित साधन (यूएफएम) मान्य करते हुये इनका परीक्षा परिणाम तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

संचालक
व्यापम, भोपाल

पृ.क./व्यापम/5–प–1/ / /2015 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि –

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टॉस्क फोर्स, म.प्र. सातवीं वाहिनी के बाजू में जहांगीराबाद, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. श्री ..... की ओर सूचनार्थ।

संचालक
व्यापम, भोपाल